समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

थानाध्यक्ष, पुरैनी के ज्ञापांक 286/14, दिनांक 22-03-2014 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री अरूण कुमार अग्रवाल, पिता- स्व0 फूलचन्द्र अग्रवाल, सा0+थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा को दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/1994 (चौसा थाना) निर्गत है, जिसपर शस्त्र संख्या- 13087 धारित है। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने के कारण अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। यह भी अंकित किया गया है कि शस्त्र शर्मा गन हाउस, मुजफ्फरपुर जमा है।

अतएव थानाध्यक्ष, पुरैनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अन्तर्गत श्री अरूण कुमार अग्रवाल, पिता- स्व0 फूलचन्द्र अग्रवाल, सा0+थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 02/1994 (चौसा थाना) को "रद्द" किया जाता है एवं स्व0 अरूण कुमार अग्रवाल के दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 02/1994 (चौसा थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 13087 को शर्मा गन हाउस, मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठान में शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् जमा करने की धटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

स्व0 अरूण कुमार अग्रवाल के उत्तराधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी तामिला थानाध्यक्ष, पुरैनी अपने स्तर से सुनिश्चित करायेगें।

शर्मा गन हाउस, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए संबंधितों को दो नाली बन्दुक सं0- 13087 हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......219......./विधि, मधेपुरा, दिनांक....16-4-14.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, पुरैनी/ मेसर्स शर्मा गन हाउस, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।